

**फर्द अहकाम**

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	11/5/24	पत्रावली पेश की गयी 20. सा. अन्य राजकारण के अंतर्गत अतः पूर्व आदेशावली दिनांक 10/7/24 को पेश की गयी।	
	10/7/24	पत्रावली पेश की गयी 20. सा. अन्य राजकारण के अंतर्गत अतः पूर्व आदेशावली दिनांक 10/8/24 को पेश की गयी।	
	30/8/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पूर्व दिनांक की पालना में पत्रावली दिनांक 23/10/2024 को पेश की। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
	22.10.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पूर्व दिनांक की पालना में पत्रावली दिनांक 8/11/24 को पेश की। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
	8.11.24	पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी को न्यायालय में आच पृथक-पृथक समय पर तीन-तीन बार आवाजे लगवायी गयी। काबजूद आवाज लगवाये जाने के उपरांत भी पत्रावली में वादी हाजिर नहीं आते पर पत्रावली अंतर्गत आदेश - 9 नियम - 3 भा. 30 के तहत अद्यम हाजरी व अद्यम पेशी में एतद्वारा खारिज की जाती हैं। पत्रावली फौजल शुमार होकर जबर से काम होकर साक्षिल यफ्तर की। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	